भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2026 के

तारांकित प्रश्न सं. 276 का उत्तर

टिकट किराये का व्यापारिक गोपनीयता के रूप में वर्गीकरण

***276. श्री असादुद्दीन ओवैसी:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल टिकट किराये को व्यापारिक गोपनीयता के रूप में वर्गीकृत किया है जिसके परिणामस्वरूप सूचना का अधिकार से संबंधित आवेदनों को अस्वीकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य के बावजूद कि रेलवे एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और करदाताओं के पैसे से संचालित होता है, इस वर्गीकरण के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार अपने इस रुख को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(घ), जो केवल निजी पक्षों के वाणिज्यिक विश्वास को छूट प्रदान करती है, के साथ कैसे सुसंगत मानती है;

(घ) रेलवे के संचालन और किराया निर्धारण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में संसदीय निगरानी को सक्षम करने के लिए परिवर्तनशील मूल्य निर्धारण (डायनेमिक प्राइसिंग) सहित आधारभूत किराया सूत्र को सार्वजनिक किए जाने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 11.03.2026 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 276 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल मंत्रालय द्वारा टिकट किराए को "व्यापारिक गोपनीयता" के रूप में नहीं माना जाता है। सभी श्रेणियों की यात्री गाड़ी सेवाओं के किराए से संबंधित जानकारी व्यापक रूप से प्रकाशित की जाने वाली सूचना है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

भारतीय रेल द्वारा समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है और वर्ष 2024-25 में यात्री टिकटों पर 60,239 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई। यह राशि रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को प्रदान की गई औसतन 43% छूट के समान है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपए है, तो टिकट का मूल्य केवल 57 रुपए होगा। यह सब्सिडी सभी यात्रियों को दी जा रही है।

अत्यधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यात्री किरायों के विभिन्न घटकों (मूल किराया, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी, आदि) का ब्यौरा यात्री टिकटों पर दर्शाया जाता है, और कागजी रूप में तथा डिजिटल रूप में किराया तालिकाओं के रूप में प्रकाशित किया जाता है, कम्प्यूटरीकृत टिकट प्रणाली (यात्री आरक्षण प्रणाली, अनारक्षित टिकट प्रणाली), मोबाइल एप्लिकेशन (रेल वन), आदि पर उपलब्ध कराया/दर्शाया जाता है।

इसके अलावा, यात्री किराए के युक्तिकरण, संशोधन आदि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर इससे संबंधित सूचना समय-समय पर व्यापक रूप से प्रकाशित की जाती है।

एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में भारतीय रेल सेवाओं को वित्तीय एवं संवहनीय रूप में प्रदान करने के लिए जनता और संसद दोनों के प्रति पूर्णतया जवाबदेह है।

यात्री किरायों का निर्धारण सेवाओं की लागत, परिवहन के अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धा, सामर्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

इसके अलावा, इस विषय पर सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) संबंधी आवेदनों की आरटीआई अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर जांच की जाती है।

****